

4/2014

| .तारीख हुक्म | हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|--------------|---|
| 29.07.2019 | <p>उभय पक्ष उपस्थित। अपील अपीलान्त संधारण योग्य नहीं होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया, जो शामिल पत्रावली की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।</p> |